


अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर(भीलवाडा)

मनोरमा देवी पत्नि ओमप्रकाश ब्राहमण नि. रोपां

बनाम

गफूर खां पिता अली खां मुसलमान नि. बेरी वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 33 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
04.04.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बेरी प. ह. बेरी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 364 कुल किता 1 रकबा 1.4083 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बेरी प. ह. बेरी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 364 कुल किता 1 रकबा 1.4083 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपरिथति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000-रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 04.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी,              जहाजपुर (भीलवाडा)         </p>	

राजस्थान-सरकार


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा  
क्रमांक / रीडर / 2023 / 33 / 2023 दिनांक :- 04.08.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 33/23 अनवान मनोरमा देवी पत्नी ओमप्रकाश ब्राह्मण नि. रोपां बनाम गफूर खाँ पिता अली खाँ, सफी मोहम्मद पिता अली खाँ, अब्दुल मोहम्मद पिता अली खाँ, मोहम्मद हुसैन पिता हसन खाँ, अजीज मोहम्मद पिता हसन खाँ, सुभान पिता हसन खाँ, रसीद पिता नसीर खाँ, रफीक पिता नसीर खाँ, सदीक पिता नसीर खाँ, फकीर मोहम्मद पिता नूर खाँ, जान मोहम्मद पिता नूर खाँ, जेतुन पत्नि गुल मोहम्मद, घीसी पुत्री अल्लानुर, वकीला पुत्री मुख्तयार खाँ, अहमद पिता दुल्ले खाँ, पीरु खाँ पिता दुल्ले खाँ, हुसैन खाँ पिता दुल्ले खाँ मुसलमान नि. बेरी वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बेरी प. ह. बेरी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 364 कुल किता 1 रकबा 1.4083 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)